


17/09/21

आदेश

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण की तलबी रजिस्टर्ड डाक से की गई है। तलबी पर्याप्त है। आज बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध इकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी मौजा शिवकर पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1418/107 रकबा 04.00 बीघा भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील प्रार्थी को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया मौजा शिवकर पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1418/107 रकबा 04.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फ़ैसल-सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

दोहासिलीन अधिकारी - बी रोहित चौहान, आर.ए.एस

दिनांक - 20.9.21

क्रमांक सीडर/2021/4826

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1. विशनाराम पुत्र प्रतापाराम
जाति जाट निवासी खारा
राठौड़ान तहसील रामसर
जिला बाड़मेर।

1. तुलसाराम पुत्र भारथाराम जाति माली निवासी
गंगाई नगर मालियों का वास रिको एरिया बाड़मेर
2. शंभुसिंह 3. भाखरसिंह 4. धोखलसिंह पिसरान
देवीसिंह जाति राजपूत निवासी हमीरसिंह की डाणी,
शिवकर 5. भंवरलाल 6. छगनलाल 7. लाभूराम 8.
चमनलाल पिसरान आम्बाराम जाति माली निवासी
पुराना जाटावास, चौहटन रोड 9. भगाराम पुत्र
उगराराम जाति जाट निवासी मली नम्बर 02 गांधी
नगर बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :- 160/2021

दिनांक- 17/09/21

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा शिवकर पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1418/107 रकबा 04.00 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 20.9.21

क्रमांक :- सीडर/2021/4827-30

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करे।
2. पटवारी शिवकर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेक उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. विशनाराम पुत्र प्रतापाराम जाति जाट निवासी खारा राठौड़ान तहसील रामसर जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थी तुलसाराम पुत्र भारथाराम जाति माली वगैराह निवासी गंगाई नगर मालियों व वास रिको एरिया बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर